



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63050-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 11517 वर्ष 2026

श्रीमती कुंती देवी

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

...प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिनव जायसवाल

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिनव जायसवाल और राज्य प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री फुजैल अहमद अंसारी की बात सुनी गई।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. यह रिट याचिका मुख्य रूप से निम्नलिखित राहत के लिए दायर की गई है:

i. परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसमें प्रतिवादी संख्या 3-अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण), कानपुर को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता को 01,03,41,822/- रुपये की क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित 15% की दर से जारी करे, जो अराज़ी संख्या 236 (क्षेत्रफल 0.4080 हेक्टेयर), 273 (क्षेत्रफल 0.4270 हेक्टेयर), 285 (क्षेत्रफल 0.1430 हेक्टेयर) और 286 का आधा भाग (क्षेत्रफल 0.2250 हेक्टेयर) की भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है, जो ग्राम मदराराय गुमान, परगना बिल्हौर, जिला कानपुर में स्थित है, और एनटीपीसी के उद्देश्य से पहले ही अधिग्रहित की जा चुकी है, क्योंकि उपर्युक्त राशि अवैध रूप से प्रतिवादी संख्या 3-अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण), कानपुर के पास रखी हुई है। नागर;

ii. याचिकाकर्ता को रिट याचिका का खर्च प्रदान किया जाए।”

3. अभिलेख से पता चलता है कि याचिकाकर्ता प्लॉट संख्या 236, 273, 285 और प्लॉट संख्या 286 के आधे हिस्से पर स्वामित्व का दावा करता है, जो ग्राम मदराराय गुमान, परगना बिल्हौर, जिला कानपुर में स्थित है। यह प्लॉट मूल रूप से याचिकाकर्ता के ससुर स्वर्गीय मन्नी लाल के स्वामित्व में था, जिनकी मृत्यु वर्ष 1981 में हुई थी। यह दावा प्रासंगिक वंशावली के आधार पर किया गया है, जो रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 7 में भी दी गई है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि याचिकाकर्ता के पति, विरजन बाबू, अपने पिता मन्नी लाल से पहले ही गुजर चुके थे। मूल काश्तकार मन्नी लाल की मृत्यु के बाद, याचिकाकर्ता (विधवा बहू) का नाम दिनांक 21.09.1983 के आदेश के आधार पर प्रश्नगत अराज़ी से संबंधित राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया था। उक्त आदेश को रिट याचिका के अनुलग्नक 2 के रूप में

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संलग्न किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि यद्यपि याचिकाकर्ता की जोत का उपयोग/अधिग्रहण कर लिया गया था, फिर भी सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अतिरिक्त कलेक्टर (भूमि अधिग्रहण), कानपुर नगर द्वारा मुआवजा जारी नहीं किया गया है। इस स्थिति ने याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने के लिए विवश किया। रिट याचिका संख्या 27597/2024; *श्रीमती कुंती देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य* के समक्ष दायर की गई है। खंडपीठ ने मांगी गई राहत पर विचार करते हुए मामले को जिला स्तरीय समिति को सौंप दिया, जिसका गठन दिनांक 12.05.2016 के सरकारी आदेश के तहत किया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का जिला स्तरीय समिति द्वारा समाधान नहीं किया गया है, क्योंकि विवादित संपत्ति पर अधिकार और दावे को लेकर विवाद है। उन्होंने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत कार्यवाही दिनांक 29.06.2024 को तहसीलदार सदर, जिला कानपुर नगर द्वारा पारित आदेश के माध्यम से अंतिम रूप दे दी गई है और अब कोई विवाद शेष नहीं है।

5. इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया कि 29.06.2024 के आदेश को किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए यह अंतिम हो चुका है। कोई अन्य प्रतिद्वंद्वी दावेदार नहीं है, जिसका प्रश्नगत संपत्ति पर दावा हो, क्योंकि याचिकाकर्ता ही सही मालिक है और मुआवजे का हकदार है। उन्होंने निवेदन किया कि यद्यपि डिवीजन बेंच द्वारा सकारात्मक निर्देश जारी किया गया था, फिर भी प्रतिवादी प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने के बजाय आदेशों को जानबूझकर अनदेखा कर दिया। आज तक न तो याचिकाकर्ता की शिकायत की जिला स्तरीय समिति द्वारा जांच की गई है और न ही कोई मुआवजा दिया गया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इस पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पिछली रिट याचिका पर जोर देते समय अनजाने में राहत खंड में गाटा संख्या 286 का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि याचिकाकर्ता उस पर भी अपना अधिकार जताती है। उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता स्वामित्व धारक होने के नाते मुआवजे की हकदार है। यह मामला ऐसा नहीं है कि प्राधिकरण को इसे बंटवारे के लिए संदर्भित करना पड़े।

7. श्री फुजैल अहमद अंसारी, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता, निवेदन करते हैं कि निर्देश प्राप्त करने के लिए कुछ समय दिया जाए। हालांकि, वे यह भी निवेदन करते हैं कि रिट याचिका में किए गए कथन के मददेनजर, जहां तक उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34/35 के तहत कार्यवाही को चुनौती नहीं दी गई है, इस तथ्यात्मक पहलू का सत्यापन प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है और यदि प्रश्नगत संपत्ति पर कोई प्रतिद्वंद्वी दावेदार नहीं है, तो याचिकाकर्ता की शिकायत की जांच एस.एल.ए.ओ. द्वारा की जा सकती है।

8. तथ्यों और परिस्थितियों तथा मांगी गई राहत पर विचार करते हुए, हम इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते कि जिला स्तरीय समिति ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत दावे पर निर्णय लिया है या नहीं। रिकॉर्ड के अनुसार, यह स्वीकार किया गया है कि स्वामित्व को लेकर कुछ विवाद था और कथित तौर पर इसे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के तहत अंतिम रूप दिया गया है। तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, हम पाते हैं कि याचिकाकर्ता के दावे पर जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा उचित सुनवाई का अवसर देने के बाद तीन महीने के भीतर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है।

9. उपरोक्त टिप्पणी के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी)

26 मार्च, 2026

प्रिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।